न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–223/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00147)

1. रामकिशोर शर्मा (मृतक दौराने वाद)
   - 1/1. श्रीमती साहरा देवी पत्नि स्व. रामकिशोर शर्मा, आयु 69 साल निवासी शंकर वाटिका गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
   - 1/2. राधामोहन पुत्र स्व. रामकिशोर शर्मा, आयु 42 साल निवासी शंकर वाटिका गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
   - 1/3. श्रीमती मीरादेवी पत्नी श्री सीताराम आयु 47 साल पुत्री स्व. रामकिशोर शर्मा, आयु 69 साल निवासी शंकर वाटिका गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
   - 1/4. श्रीमती सीतादेवी पत्नि पप्पूराम शर्मा आयु 40 साल पुत्री स्व. रामकिशोर शर्मा, आयु 69 साल निवासी शंकर वाटिका गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
   - 1/5. श्रीमती हदापू देवी पत्नि महेश चन्द शर्मा आयु 36 साल पुत्री स्व. रामकिशोर शर्मा, आयु 69 साल निवासी शंकर वाटिका गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
   - 1/6. श्रीमती मन्नीदेवी पत्नि राजूलाल शर्मा आयु 32 साल पुत्री स्व. रामकिशोर शर्मा, आयु 69 साल निवासी शंकर वाटिका गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. रामनारायण,
3. चुन्नीलाल,
4. आनीलाल
5. गोविन्दराम (मृतक) जरिये वारिसान
   - 5/1. चन्दालाल पुत्र श्री गोविन्दराम,
   - 5/2. सोनू पुत्र री गोविन्दराम,
   - 5/3. शांतिदेवी पत्नि स्व. गोविन्दराम जरिये मुख्त्यार आम शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री चुन्नीलाल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासीगण ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये उपायुक्त जोन–19 जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 27.05.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 17.06.2016 (प्रकरण संख्या 10/2014) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम गोल्यावास उर्फ मानुपर देवरी में विवादित आराजी खसरा नम्बर 419 रकबा 0.03 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 420 रकबा 1.48 हैक्टयर अन्य आराजीयात खसरा नमबर 279 रकबा 0.67 हैक्टयर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.01 हैक्टयर खसरा नम्बर 171 रकबा 1.72 हैक्टयर के साथ स्थित है, उक्त आराजी के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

सम्बन्ध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 19 सांगानेर जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष एक दीवानी दावा बउनवानी रामकिशोर वगेरा बनाम शंकर भवन निमार्ण सहकारी समिति व अन्य लम्बित है अैर उक्त दावे के संलग्न अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में दिनांक 20.01.2011 तथा दिनांक 17.02.2011 को विवादित आराजी की यथास्थिति कायम रखने बाबत स्थगन आदेश पारित किये गये। उन्होने आगे कथन किया है कि उपरोक्त दावे के अतिरिक्त न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) क्रम संख्या 26 सांगानेर जयपुर महानगर जयपुर की अदालत में भी एक अन्य दावा बउनवानी रामकिशोर बनाम शंकर भवन सहकारी समिति लि. लम्बित है और उक्त दावे के संलग्न अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में भी उपरोक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 419 व 420 की यथास्थिति रखे जाने बाबत पारित किया हुआ है, जो आज भी प्रभावशील है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 19 जयपुर के समक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया जाकर इस आशय की स्वीकारोक्ति की गई कि आराजी खसरा नम्बर 419 व 420 का कब्जा मुकदमात का जैरकार रहते हुए अपीलार्थीगण से आज दिन तक प्राप्त नही किया गया है जबकि दिनांक 26.07.2012 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तहसीलदार सांगानेर को स्थगन आदेशों के प्रभावशील रहते हुए भी इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया कि पृथ्वीराज नगर योजना मे स्थित समस्त आराजी का नामान्तरकरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम किया जावे। उपरोक्त पत्र दिनांक 26.07.2012 की अनुपालना में गैर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलार्थीगण को बिना कोई नोटिस दिये, बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये, विवादित आराजी खसरा नम्बर 419 व 420 के सम्बन्ध में मुकदमात की जानकारी किये बगेर आराजी का मौका मुआवना किये बगैर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 137 के जरिये आराजी को जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दिनांक 05.10.2012 को दर्ज कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील संख्या 43/2014 न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 11.05.2014 द्वारा स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि खसरा नम्बर 419 व 420 के सम्बन्ध में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 11.05.2014 के अनुसरण में तहसीलदार द्वारा पत्रावली को पुनः दर्ज कर कार्यवाही की जानी चाहिये थी परन्तु रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 10/2014 जो दिनांक 02.07.2014 को दाखिल दफ्तर कर दी गई थी को पुनः नम्बर पर लाये बगैर धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की गई और दिनांक 17.06.2016 को पक्षकारों को बिना कोई सुनवाई अथवा साक्ष्य प्रस्तुती का अवसर दिये तथा न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.05.2015 की अवहेलना करते हुए नामान्तरकरण संख्या 137 को यथावत कायम रखा जाकर पटवारी हल्का को इस आशय का आदेश पारित किया कि वह नामान्तरकरण संख्या 137 का नोट परत पटवार पर अंकित करें, जो खिलाफ कानूनन व रूहेदाद मिसल होने के कारण काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 पारित क रते समय न्यायालय

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर क्षरा आर.बी.जे. (13) 006 पेज 366 में प्रतिपादित सिद्धान्त की कोई ना ता पालना की ना ही उपरोक्त न्यायिक दृष्टानत का भली भांति परिशीलन एवं अवलोकन यिका जबकि उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त क्षरा राजसव मण्डल क्षरा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि यदि किसी प्रकरण मे सक्षम न्कयिायला के अन्दर कोइ ंदावा जैरकार है तो ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण की ार्यवाही जो कि एक फिस्कल प्रोसिडिंग है को स्थगित रखा जाना चाहिये जब तक की दावे मे पक्षकारान के हक हकूक विवादित आराजी बाबत निर्धारित नही किये जाते है, जबकि हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी के सम्बन्ध में वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जिनमें स्थगन आदेश प्रभावी है ।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ नयायालय का निर्णय दिनांक 17.06.2016 अपासत ुरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 137 दिनांक 05. 10.2012 अपास्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 11.05.2015 में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 8 जयपुर महानगर जयपुर का स्थगन आदेश प्रभावी होने के दौरान नामान्तरकरण तस्दीक मानते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर को रिमाण्ड किया गया है किन्तु उक्त स्थगन इत्यादि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा बिना विस्तृत जॉच किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 पारित किया गया है, जो उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है उभयपक्ष को प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर